पत्र संख्या–11 / विविध–06–24 / 2023................... /

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग।

आदेश

मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, दरभंगा प्रक्षेत्राधीन पश्चिमी कोशी नहर प्रमंडल, सकरी के अंतर्गत एकरारनामा संख्या–04F2 / 2022–23 दिनांक–30.01.2023 के अधीन 'हर खेत तक सिंचाई का पानी' कार्यक्रम से संबंधित मधुबनी जिला के रहिका प्रखंड के अंतर्गत सकरी शाखा नहर के वि0दू0 37.844 से वि0दू0 107.60 के बीच सकरी शाखा नहर एवं इसके वितरणी प्रणाली के कुल 08 अदद आउटलेट सहित फिल्ड चैनल का निर्माण कार्य में अतिशय विलम्ब के लिए मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, दरभंगा से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में संवेदक श्री माधव प्रसाद सिंह, वार्ड नं0–1, हॉस्पीटल रोड, वीरपुर, सुपौल, पिन–854340 से कारण–पृच्छा की गई। संवेदक द्वारा निर्धारित अवधि में कारण–पृच्छा प्रत्युत्तर समर्पित नहीं किये जाने पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के आधार पर मामले की समीक्षा की गई, समीक्षोपरांत विभागीय आदेश सं0–6187 दिनांक–18.12.2023 द्वारा संवेदक को डिफाल्टर घोषित करते हुए अगली निविदा में भाग लेने से वंचित / डिबार किया गया।

उक्त डिबार आदेश के विरूद्ध संवेदक द्वारा तत्कालीन अपर मुख्य सचिव के समक्ष रिवीजन पिटीशन समर्पित किया गया। रिवीजन पिटीशन पर दिनांक–24.05.2024 को मामले की सुनवाई की गयी। सुनवाई में संवेदक प्रतिनिधि द्वारा रखे गये तथ्यों के संदर्भ में मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, दरभंगा से प्रतिवेदन की माँग की गयी। संवेदक द्वारा समर्पित Revision Petition पर मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, दरभंगा द्वारा पत्रांक–2671 दिनांक–26.10.2024 से प्रतिवेदित किया गया है कि संवेदक द्वारा नहर बाँध पर प्रावधानित कुल 8 अद्द आउटलेट का कार्य पूर्ण कर लिया गया है एवं 8 स्थलो पर अप्रावधानित कुल 5010 मी0 फिल्ड चैनल में से 3 स्थलो पर कुल 791 मीटर चैनल का निर्माण किया गया है। फिल्ड चैनल के निर्माण हेतु किसी तरह का भु–अर्जन का प्रावधान नहीं है, स्थल पर किसानो के द्वारा अपने जमीन में चैनल के निर्माण का काफी विरोध किया गया है, शेष बचे चैनल का निर्माण पूर्ण किया जाना संभव नहीं है। परंतु "नहर बांध पर आउटलेट का निर्माण हो जाने से किसानो द्वारा आपसी सामंजस्य बिठाकर अपने खेत में आवश्यकतानुसार Earthen Channel बनाकर अथवा Field to field जलश्राव लेकर प्रावधानित क्षेत्र का पटवन किया जा रहा है जिससे योजना का उद्देश्य लगभग पूरा हो गया है।" इसलिए संवेदक श्री माधव प्रसाद सिंह को डिबार से मुक्त किया जा सकता है।

मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, दरभंगा से प्राप्त अनुशंसा के आधार पर सम्यक विचारोपरांत संवेदक श्री माधव प्रसाद सिंह, वार्ड नं0–1, हॉस्पीटल रोड, वीरपुर, सुपौल, पिन–854340 (निबंधन संख्या–73 / 2019 श्रेणी द्वितीय) को विभागीय आदेश ज्ञापांक–6187 दिनांक–18.12.2023 द्वारा किये गये डिबार से मुक्त करने का निर्णय सक्षम प्राधिकार द्वारा लिया गया है।

उक्त निर्णय के आलोक में संवेदक श्री माधव प्रसाद सिंह, वार्ड नं0–1, हॉस्पीटल रोड, वीरपुर, सुपौल, पिन–854340 को डिबार से मुक्त किया जाता है।

ह0 / –

(शरद कुमार)

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय

निबंधित

ज्ञापांक : ....पटना / दिनांक :..

प्रतिलिपि :– श्री माधव प्रसाद सिंह, वार्ड नं0–1, हॉस्पीटल रोड, वीरपुर, सुपौल, पिन–854340 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय

ज्ञापांक :.............2418............................... / पटना, दिनांक :..28.5.25..................

प्रतिलिपि :– अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, जल संसाधन विभाग / पथ निर्माण विभाग / भवन निर्माण विभाग / ग्रामीण कार्य विभाग / लघु जल संसाधन विभाग / लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग / नगर विकास विभाग / सभी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग / अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण यो0 एवं मो0, अंचल, पटना / अधीक्षण अभियंता, यो0 एवं मो0, अंचल –2,3,4, पटना / निदेशक, क्रय भंडार एवं सामाग्री प्रबंधन, जल संसाधन विभाग एवं कार्यपालक अभियंता, आई0टी0 सेन्टर, जल संसाधन विभाग, पटना को विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

27/5/25

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय